न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 292/2022

थानाधिकारी, पुलिस थाना पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री मदनसिंह, जाति जाट, उम्र 30 साल, निवासी काजलां, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थी

मुकदमा नं0 122/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना पचेरी कलां मे जप्तशुदा डीजल–पेट्रोल का धारा 6ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारण बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री विकास महला, प्रर्वतन अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि) –प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजय सिंह शेखावत, एडवोकेट–अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 04.01.2023

थानाधिकारी, पुलिस थाना, पचेरी कलां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण मे वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 10.08.2022 को मुकदमा मुस्तगीस श्री मुकेश चौधरी आरपीएस वृताधिकारी वृत बुहाना मय जाप्ता श्री भीमसिह कानि0, एचसी रतन सिह, कानि0 नितिश कुमार मय सरकारी गाडी मय चालक विजय पाल कानि0 के समय 1.15 पीएम पर वास्ते इलाका गश्त व चैकिंग बदमाशान हेतु रवाना हुआ व थानाधिकारी पचेरी कलां का हिदायत हुई कि 02 कानि0 को ईमदाद हेतु ग्राम सांतौर मिलने हेतु रवाना करे। समय 1.40 पीएम पर मन वृताधिकारी मय जाप्ता के ग्राम सांतौर पहुंचा जहां श्री धर्मेन्द्र कुमार कानि0 1113, थाना पचेरी कलां व श्री अमित कुमार कानि0 1581 थाना पेचरी कलां मे मौजूद मिले जिनको हमराह लेकर रवाना होकर मेघपुर चौराह पहुंचा तो जरिये मुखबीर इतला मिली की भालोठ–दुलोठ सडक पर ईट भठठो के पास एक व्यक्ति कूजर गाडी में हरियाणा से डीजल व पेट्रोल लाकर बेच रहा है। इतला विश्वसनीय होने पर हमराही जाप्ता को ईतला से अवगत करवाया जाकर मन वृताधिकारी मय जाप्ता के रवाना होकर वक्त 02.10 पीएम पर मुताबिक मुखबीर सूचना के भालोठ दुलोठ सडक पर पहुंचा तो ईट भठठो के नजदीक एक सफेद रंग की कूजर गाडी खडी दिखी जिसका पिछला फाटक खुला हुआ था जिसके फाटक के पास एक व्यक्ति खडा नजर आया तथा कूजर गाडी के पास एक मोटर साईकिल व एक ट्रेक्टर खडे दिखाई दिये जो पुलिस की गाडी को देखकर वहां से भाग गये। मन वृताधिकारी मय जाप्ता के कूजर गाडी के पास पहुंचा व गाडी के पास खडे व्यक्ति को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र श्री मदनसिह जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी काजलां पुलिस थाना बुहाना होना बताया जिसके हाथ में तेल डालने का 01 लीटर का नाप था। जिससे कूजर गाडी के बारे में पूछा तो बताया कि मैं इस कूजर गाडी में हरियाणा से सस्ते भाव में डीजल लाकर आस–पास के मोटरसाईकिल व ट्रेक्टर वालों को बेच देता हूं। गाडी की चैकिंग हेतु आस–पास स्वतंत्र मोतबीर तलाश किये। मगर कोई स्वतत्र मोतबीर नही मिलने पर हमराही जाप्ता में से श्री धर्मेन्द्र कुमार कानि0 1113 थाना पचेरी कलां व श्री अमित कुमार कानि0 1581 थाना पचेरी कलां को मातबीर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

मामुर कर गाडी व गाडी में रखे गये समान को चैक करना शुरू किया गया तो गाडी सफेद रेग की कूजर है। जिसके आगे पिछे नम्बर प्लेट पर एचआर 23 एच 0953 लिखे हुये है। आगे के मैन सीसे पर अग्रेजी भाषा में कार्तिक चौधरी लिखा हुआ तथा पिछे फाटक के सीसे पर मान साहब लिखा हुआ है। गाडी के ईजन नं0 D27032189 तथा चैचीस नं0 MC1D40EA29P000757 है। गाडी को अंदर से चैक किया गया तो पिछे की तरूफ 02 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम जिसको खोलकर चैक किया गया तो दोनो में लगभग 200–200 लीटर डीजल भरा हुआ मिला तथा बडे ड्रमों के पास में ही 5 प्लास्टिक के नीले रंग के ड्रम रखे हुऐ मिले जिसमें भी प्रत्येक में ड्रम में लगभग 40–40 लीटर डीजल भरा हुआ है। इस प्रकार कुल 600 लीटर डीजल भरा हुआ मिला तथा आगे के कन्डकटर साईड फाटक के पास गाडी में एक नीले रंग की केन जिसमें लगभग 20 लीटर पेट्रोल भरा हुआ मिला था सीट के उपर एक 2 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई मिली शख्स सुनिल कुमार को इतनी भारी मात्रा में डीजल व पेट्रोल कब्जे में रखना व विक्रय करने के संबंध में कोई लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो अपने पास नही होना बताया तथा बताया कि में हरियाणा से सस्ता तेल लाकर आस पास बोर्डर इलाको में ही बेंच देता हूं। जिसका उक्त कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने पर गाडी व उसमें मिले समान को कब्जा पुलिस में लिया जाकर बडे ड्रम में से एक कांच की बोतल में डीजल निकाला जाकर बतौर नमुना सैम्पल मार्क A अंकित किया गया तथा शेष बचे डीजल को उसी ड्रम में शील्ड मोहर कर बतोर वजह सबुत र्माक A-1 अंकित किया गया। दूसरे ड्रम में से भी एक कांच की बोंतल में डीजल निकाला जाकर बतोर नमुना सैम्पल B अंकित किया गया तथा शेष डीजल को उसी ड्रम में शील्ड मोहर कर बतोर वजह सबुत मार्क B-1 अंकित किया गया तथा छोटे ड्रमों में प्रत्येक में से 01–01 बोतल डीजल निकाला जाकर बतौर नमूना डीजल सैम्पल कमश C, D, E, F, G अंकित किए गये तथ शेष डीजल को उन्ही ड्रमो में रखा जाकर बतौर वजह सबुत मार्क कमश C-1, D-1, E-1, F-1, G-1 अंकित किए गए तथा कैन में से मिले पेट्रोल से 1 बोतल पेट्रोल बतोर नमूना सैम्पल निकाला जाकर मार्क H अंकित किया गया व शेष पेट्रोल को उसी केन में रखा जकर मार्क H-1 अंकित किया गया। शक्स सुनील कुमार को पृथक से गिरफ्तार किया जा रहा है। नमूना शील फर्द पर अंकित की गई। इत्यादि फर्द जप्ती पर अभियोग संख्या 122/22 धारा 3/7 आवश्य वस्तु अधि0 1955 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान मन थानाधिकारी बनावारी लाल उ0/नि0 द्वारा आरम्भ किया गया। प्रकरण हाजा के दौराने अनुसंधान बयान मुस्तगीस श्री मुकेश चौधरी व गवाह श्री रतन सिह एचसी, भीमसिह कानि0 172 अमित कुमार कानि0 1581 से दरियाफत कर बयान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया, फर्दजब्ती कूजर गाडी मय डीजल–पेट्रोल से भरे ड्रम फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम सुनिल कुमार शामिल पत्रावली की गई, प्रकरण हाजा में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम सुनिल कुमार से अनुसंधान किया जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण हाजा में किये गये अनुसंधान बयानात मुस्तगीस व गवाहान, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल फर्दजब्ती कूजर गाडी मय डीजल पैट्रोल, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम दीगर अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार प[illegible] श्री मदन सिह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी काजला पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं रा[illegible]फ जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि का अपराध बखूबी साबित पाया गया है। प्र[illegible]टक के ड्रमो व 5 निले रंग के छोटे प्लास्टिक के ड्रमों में करीब 600 [illegible] प्लास्टिक के कैन में करीब 20 लीटर पैट्रोल भरा हुआ है। उक्त पैट्रोल व [illegible] रखाव की उचित व्यवस्था नही है। पैट्रोल एवं डीजल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। जिसके कारण निवेदन है कि प्रकरण में जप्तशुदा पेट्रोल व डीजल के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:18 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से 600 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोल मय 2 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों, 5 निले रंग के छोटे प्लास्टिक के ड्रमों व 1 नीले रंग के प्लास्टिक के कैन, एक 2 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है, जप्त किया गया है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स डीजल व पेट्रोल के विक्रय बाबत नही था। उक्त डीजल व पेट्रोल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। डीजल व पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अप्रार्थी से मौके पर एक 2 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई जप्त हुई है जो डीजल–पेट्रोल विक्रय का प्रमाण है। फर्द जप्ती पर अप्रार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर है। पर अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा अप्रार्थी से 600 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोल मय 2 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों, 5 निले रंग के छोटे प्लास्टिक के ड्रमों व 1 नीले रंग के प्लास्टिक के कैन के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने विभागीय प्रतिनिधि के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी के पास ट्रेक्टर है। अप्रार्थी कृषि प्रयोजन के लिए ही उक्त डीजल लाया था। पेट्रोल का मुकदमा झूठा बनाया गया है। अप्रार्थी डीजल व पेट्रोल विक्रय कर रहा था इसके कोई साक्ष्य नही है। अप्रार्थी से मात्र 600 लीटर डीजल ही जप्त हुआ था। अप्रार्थी 2500 लीटर तक नियमानुसार डीजल रख सकता है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे एवं प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने अपने जबाब मे कथन किया है कि प्रकरण मे न्यायालय अपनी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रकरण मे डीजल व पेट्रोल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस डीजल व पेट्रोल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये अप्रार्थी से 600 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोल मय 2 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों, 5 निले रंग के छोटे प्लास्टिक के ड्रमों व 1 नीले रंग के प्लास्टिक के कैन, एक 2 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2) के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा अप्रार्थी से 600 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोल मय 2 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों, 5 निले रंग के छोटे प्लास्टिक के ड्रमों व 1 नीले रंग के प्लास्टिक के कैन, एक 2 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, पचेरी कलां को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:18 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू